संख्या-6/बी3-106/2018 श्र०सं०- 6525

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

पटना, दिनांक- 11-9-18

विषय:- **मुख्यशीर्ष-2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-लघु शीर्ष-091-संलग्न कार्यालय-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0002-विधानमंडल भोजशाला स्थापना (विपत्र कोड- 26-2251000910002) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 6640 एवं 6645 both dated- 11-09-18 के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरूद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नही रहने के कारण CFMS Software से निर्गत किये गये **CFMS Order No.- 6640** एवं **6645 both dated- 11-09-18** जो, उपशीर्ष-0002-विधानमंडल भोजशाला स्थापना (विपत्र कोड-26-2251000910002) से संबंधित है, में निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

1. योग वेतन एवं जीवनयापन भत्ता में आवंटित राशि से वेतन विपत्रों की निकासी की जायेगी ।
2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
3. Pay And Pension एवं Other Expenses में आवंटित की गयी राशि प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के पत्रांक-399 दिनांक-26.06.18 के आलोक में है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. आवंटित राशि से संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के वेतन विपत्रों एवं अन्य सभी प्रकार की विपत्रों की जॉच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
6. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
7. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से संबंधित है।

11/09/18

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-6/बी3-106/2018 श्र0सं0- 6525 पटना, दिनांक- 11-9-18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/09/18

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार ।